

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, कोटा

क्रमांक :- अ.अ./जसख/कोटा/ईआर.सी.पी./2018-19/1462 दिनांक :-17.05.2019

नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., जयपुर

विषय :- कालीसिन्ध नदी पर नौनेरा बैराज के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु।

प्रसंग :- आपके पत्र क्रमांक F. 14(2018/FCA/PCCF/EDS) दिनांक 13.05.2019 के क्रम में।

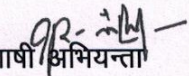
प्रस्ताव सं० :- FR/RJ/IRRIG/359045/2018 dated 03.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र में दिये गये आक्षेपों का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

Observation	Reply
1. बिन्दु संख्या 3 के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव की औचित्यता संलग्न कर दी गई हैं एवं विभिन्न तीन उंचाईयों पर परीक्षण किया जाकर तुलनात्मक विवरण DGPS map & GT Sheet में संलग्न किया गया हैं किन्तु मेप से मालूम नहीं होता हैं कि वन क्षेत्र में कितना अन्तर हैं साथ ही मुलनात्मक विवरण में प्रोजेक्ट कॉस्ट 774.48 करोड़ अंकित हैं जबकि पार्ट 1 में 1595.06 लाख अंकित हैं सही स्थिति अंकित की जानी प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक विवरण में 217 मीटर उंचाई को ही लिए जाने का कोई ठोस कारण नहीं हैं। सही स्थिति स्पष्ट की जानी प्रस्तावित हैं। संशोधित KML file, DGPS map & GT Sheet दिया जाना प्रस्तावित हैं।	बिन्दु संख्या 3 के क्रम में प्रस्ताव की औचित्यता संलग्न कर दी गई थी एवं विभिन्न तीन उंचाईयों पर परीक्षण किया जाकर तुलनात्मक विवरण DGPS map & GT Sheet में संलग्न किया गया था एवं मेप में hatching कर दी गई है जिससे वन क्षेत्र में आसानी से अन्तर पता लगाया जा सकता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट में टंकण संशोधन कर दिया गया है इसके अतिरिक्त तुलनात्मक विवरण में FRL-217 ही लिया जाने का कारण स्पष्ट कर दिया गया है। (Addendum -I) संशोधित KML file, DGPS map & GT Sheet संलग्न कर दिये गये हैं।
2. बिन्दु संख्या 5 की पालना नहीं। यूजर एजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि दिया जाना अंकित किया गया हैं किन्तु कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया हैं। प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन होने वाली वन भूमि के बराबर अर्थात 650.57 हैं0 गैर वन भूमि ही दी जानी प्रस्तावित हैं।	प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक 650.57 है0 गैर वन भूमि के प्रस्ताव श्रीमान् जिला कलक्टर कोटा एवं बारां द्वारा तैयार किये जा रहे हैं जिनका पत्र संलग्न किया गया है, चूंकि गैर वन भूमि सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा उनकी सहमति से ली जानी है तथा प्रस्ताव उपवन संरक्षक स्तर पर (Online) न आने के कारण सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा सहमति दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
3. बिन्दु संख्या Additional information के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर दिया गया हैं।	बिन्दु संख्या Additional information के क्रम में संशोधित लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर दिया गया था -

3.1 ग्रामवार वन एवं गैर वन भूमि के विवरण में लम्बाई एवं चौड़ाई के गुणक में एरिया केलकुलेशन शीट मंडलवार एवं एकजाई संलग्न किया गया है किन्तु इस पर प्रस्ताव का नाम एवं संख्या अंकित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित वन भूमि के खसरावार वन क्षेत्र की गणना का प्रपत्र संलग्न किया जाना है।	3.1 ग्रामवार वन एवं गैर वन भूमि के विवरण में लम्बाई एवं चौड़ाई के गुणक में एरिया केलकुलेशन शीट मंडलवार एवं एकजाई संलग्न किया गया है जिस पर प्रस्ताव का नाम एवं संख्या अंकित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित वन भूमि के खसरावार वन क्षेत्र की गणना का प्रपत्र संलग्न कर दिया गया है। (Addendum –II)
3.2 मलबा निस्तारण योजना संलग्न नहीं की गई है।	3.2 मलबा निस्तारण हेतु अण्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है। (Addendum –III)
3.3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट मय टेक्नीकल स्पेसीफिकेशन संलग्न किया गया है किन्तु उसमें सबमर्जेन्स 2673 हैं0 अंकित किया गया है जबकि ऑनलाईन प्रस्ताव में 2644.795 हैं0 अंकित किया है। संशोधन किया जाना टिप्पणी ली जानी प्रस्तावित है।	3.3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट मय टेक्नीकल स्पेसीफिकेशन संलग्न किया गया है उसमें परियोजना हेतु कुल अवाप्त की जाने वाली भूमि 2673 हैं0 हैं तथा सबमर्जेन्स एरिया 2644.795 हैं0 है। (Addendum –IV)


 अधिशासी अभियन्ता
 जल संसाधन खण्ड कोटा